



राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग सिरोंही

दिनांक 9-10-2024

कमांक प.14(12)()आ.प्र.एवं सहा./बाढ/नहर मरम्मत/2024/974

आदेश

मानसून वर्ष 2023 में विपरजॉय के प्रभाव से हुई अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ से क्षतिग्रस्त बांधों एवं नहरों की तात्कालिक अरथाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज. जयपुर द्वारा जारी स्वीकृति कमांक 2866-72 दिनांक 11.08.2023 के क्रम में इस कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति कमांक 532 दिनांक 29.08.2023 एवं वित्तीय स्वीकृति कमांक 564 दिनांक 14.09.2023 की पालना में कार्यकारी संस्था अधिशासी अभियन्ता, जल ससाधन खण्ड, सिरोंही द्वारा करवाये गये निम्नलिखित बांधो एवं नहरों मरम्मत कार्यों के सन्दर्भ में अधिशासी अभियन्ता, जल ससाधन खण्ड, सिरोंही, सिरोंही के पत्रांक 435 दिनांक 13.02.2024 द्वारा प्रस्तुत पारित शुदा विलों एवं संलग्न प्रमाण-पत्रों के आधार पर निम्नानुसार कॉलम संख्या 06 में अंकित राशि अधोलिखित शर्तों के अधीन संबंधित फर्म/ठेकेदार को भुगतान करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है -

कार्यकारी संस्था:- अधिशासी अभियन्ता, जल ससाधन खण्ड, सिरोंही

क्र.सं.	कार्य का नाम	फर्म ठेकेदार का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	शुद्ध भुगतान योग्य राशि (रूपये में)	विल राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6
1	पोईदरा बांध की नहर मरम्मत कार्य	मेसर्स एम.के. कन्स्ट्रक्शन सेलवाडा रेवदर	1.50	112828	135773
योग:-			1.50	112828	135773
2	धान्ता बांध की नहर मरम्मत कार्य	मेसर्स अंजनी माता कन्स्ट्रक्शन रेवारीवास सरूपगंज, सिरोंही	1.50	82555	99343
योग:-			1.50	82555	99343
3	टोकरा बांध की नहर मरम्मत कार्य	मेसर्स श्री सुन्धा कन्स्ट्रक्शन बुरारीखेडा उडवारिया	1.50	120482	144984
योग:-			1.50	120482	144984
महायोग:-			4.50	315865	380100

उक्त राशि का व्यय वर्ष 2024-25 में निम्न लेखा मद में से किया जायेगा ।

2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

- 02- बाढ चकवात आदि ।
- 122- सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
- (02)- बाढ से प्रभावित सरकारी खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता
- [01]- [बाढ से प्रभावित सरकारी खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता]
- 21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत राशि 285075)
- (राज्य निधि 25 प्रतिशत राशि रूपये 95025)

उपरोक्त भुगतान स्वीकृति निम्नालिखित शर्तों के अधीन रहेगी-

- 1-कॉलम संख्या 06 में अंकित भुगतान योग्य राशि में से Securit Deposit @ 10%, Income Tax @2% GST@ 2%, Royalty @1.50, Labour Cess @1% ,DMFT Royalty का @10% की नियमानुसार कटौति करते हुये शेष राशि का भुगतान संवेदक/ठेकेदार को किया जायेगा ।
- 2- उक्त स्वीकृति संबंधित कार्यकारी एजेन्सी के सक्षम तकनीकी अधिकारी के द्वारा पारित शुदा भुगतान योग्य राशि के आधार पर जारी की गई हैं ।
- 3- उक्त सभी भुगतान अंकेक्षण/जांच में अस्वीकृत योग्य पाये जाने पर किये गये भुगतान की वसूली के अधीन होगी एवं उसके पुनर्भरण का दायित्व कार्यकारी संस्था का रहेगा ।
- 4- उक्त कार्यों की बोली प्रक्रिया एवं कार्य संबंधी सभी दस्तावेज एवं पत्रावली आदि अभिलेख कार्यकारी संस्था के पास हैं, जो अंकेक्षण एवं किसी भी जांच के समय कार्यकारी संस्था द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध करवाया जायेगा।

RajKaj Ref
10742060**Signature valid**

(अल्पा चौधरी)
Digitized by: Alpa Choudhary
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.10.09 16:48:05 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

- 1- शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज. जयपुर
- 2- संभागीय आयुक्त महोदय, पाली
- 3- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज.जयपुर
- 4- कोषाधिकारी, सिरोही
- 5- अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सिरोही
- 6- बिल लिपिक

जिला कलक्टर, सिरोही

RajKaj Ref
10742060

Signature valid

Digitally signed by Alp Choudhary
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.10.09 16:48:05 IST
Reason: Approved